27/01/21 कोविड–19 के संक्रमण के चलते माननीय म0प्र0उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, इंदौर के विभिन्न आदेशों एवं दिशा निर्देशों के आलोक में पूर्व नियत पेशी दिनांकों को अकार्य दिवस घोषित किये जाने व मात्र अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरणों में सुनवाई के निर्देश होने से नियत पेशी दिनांकों को प्रकरण सुनवाई में नहीं लिया जा सका।

आवेदिका द्वारा श्रीमती विद्या सोलंकी अधि0 उप0।

अनावेदक अनुपस्थित।

डीआईआर रिपोर्ट अप्राप्त।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदिका की ओर से ''डिस्क्लोजर ऑफ असेट एण्ड लाईबिलिटिस'' की जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। अतः आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से उक्त जानकारी प्रस्तुत करे। साथ ही आवेदिका की ओर से विधिवत तलबाना अदा किया जाए तो डीआईआर रिपोर्ट भी तलब की जावे।

प्रकरण ''डिस्क्लोजर ऑफ असेट एण्ड लाईबिलिटिस' संबंधी जानकारी प्रस्तुति व डीआईआर रिपोट हेतु दिनांक 10.03.21 को पेश हो।

(श्रीमती अंकिता शाही)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर

पुनश्च –

आवेदिका सहित श्रीमती विद्या सोलंकी अधि0 उप0।

अनावेदक स्वयं उप0।

उभयपक्ष द्वारा प्रकरण मिडियेशन में भेजे जाने का निवेदन किया। प्रकरण मिडियेशन में प्रेषित किये जाने योग्य है। अतः सुलह होने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण मिडियेशन हेतु श्रीमान दिनेश मीणा जेएमएफसी0 देपालपुर के न्यायालय की ओर प्रेषित किया जाता है।

पक्षकारगण आज ही संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें।

प्रकरण कुछ समय बाद पुनः पेश हो।

Scanned by CamScanner

ORDER - SHEET

पुनश्च –

मिडियेटर न्यायालय श्रीमान दिनेश मीणा साहब, जेएमएफसी देपालपुर के न्यायालय से पत्र क्र0 51/27.01.21 प्राप्त हुआ जिसके अनुसार उभयपक्ष के मध्य मिडियेशन कार्यवाही सफल रही।

आवेदिका दीपिका एवं अनावेदक राहुल सहित श्रीमती विद्या सोलंकी अधि0 उप0।

उभयपक्ष ने मिडियेशन के पालन में राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया जिसके अनुसार उनके मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है, व वे प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं।

उपस्थित पक्षकारगण से पूछे जाने पर उन्होंने बिना किसी भय व लालच के स्वेच्छया राजीनामा होना स्वीकार किया।

अतः प्रस्तुत राजीनामे के आलोक में प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण विहित समयावधि में विधिवत अभिलेखागार में प्रेषित किया जाए।

27/01/21

(श्रीमती अंकिता शाही)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर

Deepika

Rahul

Scanned by CamScanner